न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 93/2022 G.C.M.S. No. 2022/260 दर्ज दिनांक : 06.12.2022

अपीलार्थिगण:

1. दिलीपसिंह पुत्र बलवंतसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण बेडल, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चौथी पत्नि फगलुराम
2. फगलुराम पुत्र भीका, जातिगण रेबारी, निवासी बेडल, तहसील बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 2022/218 बअनवान चौथी वगैरह बनाम दिलीपसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2022

पैरोकार–

1. श्री नवीन दवे, श्री मोहनलाल सीरवी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पीथाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 18.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 2022/218 बअनवान चौथी वगैरह बनाम दिलीपसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24/1 रकबा 3.50 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 25/1 रकबा 2.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के उत्तरी दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 8.98 हैक्टेयर के खातेदार अपीलांटगण द्वारा उत्तरी मार्ग पर करीब 04 फीट का अवैध तौर पर अतिक्रमण कर किये गये निर्माण को हटाये जाने का निवेदन किया। जिस वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांटगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त भूमियों के बीच में कदीम से धोरामाठ स्थित है तथा पुश्तैनी माठ के अनुसार अपीलांटगण की खातेदारी भूमि खंसरा संख्या 20 पर ही पशुओं को बांधने के लिए कच्चे शेड का निर्माण किया गया है। अपीलांटगण द्वारा विपक्षी की भूमि न तो प्रवेश किया गया है, न ही अतिक्रमण किया गया है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि खसरा

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 24/1 एवं खसरा नम्बर 20 की पैमाईश एवं सीमाज्ञान सम्पूर्ण रूप से किये जाने पर ही सही एवं वास्तविक स्थिति अपने आप ही प्रकट हो जायेगी। इसलिए रेस्पोंडेन्टगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी जाकर आदेश व डिक्री दिनांक 27.09.2022 पारित किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिविरूद्ध डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वाद के रूप में ट्रीट न कर एक प्रार्थना पत्र के रूप में निर्णय पारित कर दिया गया, जो कि पूर्णतया विधि प्रावधानों के एवं काश्तकारी अधिनियम के पूर्णतया विपरित है। यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बारे में तथा उसकी सुनवाई एवं प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का कोई विधिक अनुभव ही रहा, न ही कानूनी प्रक्रिया से ही अधिनस्थ न्यायालय अवगत रहा तथा किसी प्रकरण को केवल एवं केवलमात्र निर्णित करने के एकमात्र उद्देश्य से उक्त प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया तथा जरूरी कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर उनको धत्ता बताते हुए निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद के प्रकरण में न तो तनकीयात का गठन किया, न ही पत्रावली तनकीयात के लिए रखी गई, न ही प्रकरण में साक्ष्य अभिलेखित किया गया, न ही पत्रावली पक्षकारान् के साक्ष्य हेतु रखी गई। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानून अनुसार मूल वाद की तरह दर्ज होता है, उसकी सुनवाई होती है तथा मूल वाद में अपनाये जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं को अपनाकर तनकीयात की विरचना कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के पश्चात ही वाद का निर्णय किया जा सकता था। किंतु ऐसा नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में पत्रावली में प्रस्तुत एक पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर पारित किया है। जबकि उक्त पटवारी रिपोर्ट उक्त वाद प्रस्तुती के काफी समय पूर्व की हैं। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं मंगवाया गया था, ना ही वाद की सुनवाई के समय ही रिपोर्ट मंगवाई गई एवं बाले–बाले एकतरफा निर्णय एवं डिक्री उक्त तथाकथित रिपोर्ट की आड़ में पारित कर दिया गया। उक्त तथाकथित पटवारी रिपोर्ट जो दिनांक 23.02.2022 की पटवारी हल्का बेड़ल द्वारा बनाया जाना अंकित किया गया है उसमें अपीलांटगण की न तो उपस्थिति में बनाया गया है, न ही अपीलांटगण के हस्ताक्षर ही है, एकतरफा रिपोर्ट तैयार कर उसे पत्रावली में प्रस्तुत कर दिया गया है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मंगवाई जाती तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नाप कर वास्तविक सीमाज्ञान पक्षकारान की उपस्थिति में किया जाता जबकि ऐसा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया ही

Scanned with OKEN Scanner

नहीं गया एवं पूर्व में बनाई गई तथाकथित पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई हैं। इसके साथ ही अपीलांटगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट रूप से कथन किया था कि वाद में उल्लेखित समस्त खसरों व सम्पूर्ण क्षेत्रफल के सीमाज्ञान एवं पेमाईश के बिना वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। इसके बावजूद भी इस महत्वपूर्ण आपत्ति को अधिनस्थ न्यायालय ने दरकिनार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि इस प्रकार के प्रकरण में बिना सम्पूर्ण क्षेत्रफल का सीमाज्ञान एवं पेमाईश किये वास्तविक स्थिति में नहीं पहुंचा जा सकता है जिस स्थिति को अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया नजर अंदाज कर दिया। साथ ही किसी एक छोर से नापे जाने पर वास्तविक स्थिति अतिक्रमण होने या नहीं होने बाबत् पत्रावली पर नहीं आ सकती है क्योंकि सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नाप जबतक नहीं हो जाता है तब तक अलग अलग खसरों में कौन अधिक और कौन कम जगह पर है इसका ज्ञान नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में जब मामला बहुत कम क्षेत्रफल के अतिक्रमण का हो, जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त जिस माठ का उल्लेख किया गया है वह माठ बरसो बरस पुरानी है तथा स्थाई रूप से स्थापित है एवं रेस्पोडेन्टगण की भूमि बाद में खरीदसुदा है। उक्त स्थाई मुटाम के बिन्दु को अधिनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही अपना निर्णय पारित कर दिया। जो काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. अधीनस्थ विचारण न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलांट्स द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए रेस्पोंडेंट्स वादीगण के वादपत्र का खंडन किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम नहीं किए गए तथा न ही किसी भी पक्ष की

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य समायत की गई। बल्कि जवाबदावा प्राप्त कर सीधे बहस सुनी जाकर वादपत्र निर्णित व डिक्री कर दिया गया।

3. व्यवहार प्रक्रिया संहिता में यह आज्ञापक प्रावधान है कि जवाबदावा प्राप्त होने के पश्चात जवाबदावे में वादपत्र के विरोध की स्थिति में आदेश 14 नियम 7 से 15 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विवाद्यकों का विरचन किया जाना आज्ञापक है। तत्पश्चात आदेश 15, आदेश 16, आदेश 18, आदेश 19 के अंतर्गत प्रकरण में उभयपक्षकारान की साक्ष्य, परीक्षण, प्रतिपरीक्षण, मुख्य परीक्षण, खंडन–साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान की बहस एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 में विहित आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों का संगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना आज्ञापक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जिसका हमारे विनम्र मत में समर्थन किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 2022/218 बअनवान चौथी वगैरह बनाम दिलीपसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14, 15, 16, 18, 19 एवं आदेश 20 नियम 5 तथा राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 28.07.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner